श्रीमान् सम्पदा प्रबन्धक,
वृत्त–..............................
राजस्थान आवासन मण्डल,
....

विषयः–आवास/फ्लैट/भूखण्ड संख्या........................ योजना .... के पंजीयन हेतु विक्रय पत्र जारी करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मुझे आवास/फ्लैट/भूखण्ड संख्या .... योजना .... आवंटित हुआ है। मेरे द्वारा उक्त आवास/फ्लैट/भूखण्ड की समस्त राशि जमा कराकर अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। अब मैं उक्त आवास/फ्लैट/भूखण्ड का पंजीयन (रजिस्ट्री) करवाना चाहता/चाहती हूं।

अतः मेरे आवास/फ्लैट/भूखण्ड संख्या .... योजना .... के पंजीयन हेतु विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर जारी करने का श्रम करें जिससे कि मैं उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (रजिस्ट्री) करवा सकूं।

भवदीय,

(   )
नाम–...
पता–...
....

संलग्नः–
1– आवास/फ्लैट/भूखण्ड के विक्रय पत्र।
2– आवास/फ्लैट/भूखण्ड के नक्शे।
3– आवंटन पत्र
4– अदेय प्रमाण पत्र।
5– लीजमुक्ति प्रमाण पत्र अथवा बकाया लीजमनी जमा की रसीद की छायां प्रति।
6– भौतिक कब्जा प्राप्ति का प्रमाण पत्र।
7– पहचान पत्र की छायां प्रति।
8– जमा करवायी गयी स्टाम्प ड्यूटी के चालान की छायां प्रति।

PHOTO

राजस्थान आवासन मण्डल
विक्रय–पत्र

यह विक्रय–पत्र आज दिनांक .... को सचिव की ओर से उप आवासन आयुक्त, जयपुर वृत–प्रथम, राजस्थान आवासन बोर्ड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की ओर से जिन्हें इस पत्र

(प्रथम पक्ष)

श्री ....
....
....

(द्वितीय पक्ष)

उपरोक्त पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार तहरीर किया गया–

जो कि पक्षकारों ने दिनांक .... को प्रथम पक्ष ने अपने निर्धारित नीलामी की शर्तों के अनुसार फ्लैट सख्या .... स्थित **सैक्टर–..........** **योजना** .... जिसका कि पूरा विवरण इस लेख पत्र के अन्त में दिया हुआ है, को नीलाम की थी। प्रथम पक्ष की उक्त नीलामी की शर्तों को द्वितीय पक्ष दिनांक .... को नीलामी के समय अपने हस्ताक्षर कर स्वीकार कर चुका है। द्वितीय पक्ष की अधिकतम बोली .... रुपये प्रति फ्लैट प्रथम पक्ष ने स्वीकार करते हुए विक्रय की गई फ्लैट का कब्जा दिनांक .... को द्वितीय पक्ष को दिया गया है। अतः विक्रय–पत्र निम्न प्रकार तहरीर किया गया–

1– यह कि द्वितीय पक्ष ने फ्लैट की कीमत रुपये .... **(अक्षरे रूपये** .... **मात्र)** नीलामी की स्वीकृत बोली के आधार पर जमा करा दी है और फ्लैट का कब्जा संभाल लिया है। विक्रय किया गया फ्लैट का पता इस प्रलेख पत्र पर संलग्न किया जा चुका है जो इस प्रलेख पत्र का ही एक भाग माना जाये।

2– यह कि फ्लैट से सम्बन्धित समस्त करों की अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित लीज मनी प्रतिवर्ष द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष को अदा करनी होगी। फ्लैट की वार्षिक लीज राशि रुपये .. .. **(अक्षरे** .... **मात्र**) निर्धारित है।

3– यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये समय पर समस्त अदायगी प्रदान करना आवश्यक होगा। नीलामी की शर्तों जिनके आधार पर कि फ्लैट नीलाम किया गया है। वह भी इस विक्रय–पत्र का भाग माना जावेगा।

For and On behalf of
Rajasthan Housing Board

(Signature of Allottee)

(Authorised Signatory)

4- यह कि द्वितीय पक्ष को फ्लैट के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, नगर परिषद व अन्य सम्बन्धित ऑथेरिटीज के सम्बन्धित नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

5- यह कि राजस्थान आवासन बोर्ड षडिस्पोजल ऑफ प्रापर्टी रेगुलेशन 1970 के नियमों का पालन करना होगा यह नियम भी इस विक्रय-पत्र के नियम माने जायेगे।

6- यह कि पक्षकारों के मध्य प्रलेख-पत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर, विवाद, राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति के द्वारा निर्णित किया जायेगा। जिनके निर्णय से दोनों पक्षकार पाबन्द होंगे।

यह विक्रय-पत्र पक्षकारों ने स्वेच्छा से आज दिनांक .... को तहरीर किया है। विक्रय किया गया फ्लैट रूपये .... **(अक्षरे रूपये .... मात्र)** में ही विक्रय की गई है।

उक्त विक्रय पत्र आज दिनांक .... को स्वेच्छा से तहरीर किया गया ताकि सनद रहे।

आवास/फ्लैट का विवरणः

आवास/फ्लैट संख्या .... स्थित **सैक्टर-**............ योजना .... **में स्थित है।**

फ्लैट के	**उत्तर में**	–
	दक्षिण में	–
	पूर्व में	–
	पश्चिम में	–

फ्लैट का माप – .... वर्गमीटर

प्रथम पक्ष
राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से

द्वितीय पक्ष

For and On behalf of
Rajasthan Housing Board

(Signature of Allottee) (Authorised Signatory)